

अध्याय सारांश

यह अध्याय धन कर और ब्याज के बारे में निर्धारणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को समाविष्ट करते हुए क्रमशः दो भाग क और ख का बना हुआ है।

धन कर निर्धारितियों की संख्या 2001-02 में 1.52 लाख से घटकर 2005-06 में मात्र 99,694 हो गई यद्यपि धन कर विधि में कोई बड़े संशोधन नहीं किये गये हैं।

(पैरा 5.2)

लेखापरीक्षा ने टिप्पणियों के लिए विभिन्न अनियमितताओं, चूकों और गलतियों का उल्लेख करते हुए 56 अभ्युक्तियाँ (धन कर और ब्याज कर से संबंधित क्रमशः 42 और 14 अभ्युक्तियाँ) वित्त मंत्रालय को जारी की जिसमें 5.17 करोड़ रुपये (धन कर में 2.65 करोड़ रुपये और ब्याज कर में 2.52 करोड़ रुपये) का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था। मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन के तैयार करने तक 27 अभ्युक्तियाँ (धन कर में 17 और ब्याज कर में 10) स्वीकार की जिसमें 2.34 करोड़ रुपये (धन कर में 1.73 करोड़ रुपये और ब्याज कर में 61 लाख रुपये) का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था।

(पैरा 5.4, 5.12 और 5.14)

निर्धारण अधिकारियों ने निम्नलिखित नहीं किया

- परिसम्पत्तियों के सही मूल्यांकन को सुनिश्चित करने और निवल धन में करयोग्य परिसम्पत्तियों के शामिल करने के परिणामस्वरूप चार मामलों में 14.90 लाख रुपये के धन कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 5.5.3)
- निर्धारिती के निवल धन में करयोग्य परिसम्पत्तियों के शामिल करने के परिणामस्वरूप 11 मामलों में 48.10 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 5.6.2)
- धन कर निर्धारणों के अभिलेखों के साथ आय कर निर्धारण अभिलेखों का सहसम्बद्ध करने के परिणामस्वरूप 20 मामलों में कुल 45.84 लाख रुपये के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 5.7.3)
- विभिन्न चूकों के लिए सही प्रकार से ब्याज के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप छः मामलों में 1.55 करोड़ रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।
(पैरा 5.8.3)
- चार मामलों में सही प्रकार से 2.24 करोड़ रुपये को ब्याज कर का उद्ग्रहण।
(पैरा 5.15.5)

अध्याय V: अन्य प्रत्यक्ष कर

क - धन कर

धन कर
से राजस्व

5.1 निम्नलिखित तालिका 2001-02 और 2005-06 के मध्य धन कर माँग की कुल बकाया की तुलना में बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहणों की स्थिति को दर्शाती है।

(करोड़ रूपये में)

तालिका 5.1 : बजट अनुमान, वास्तविक धन कर संग्रहण और धन कर माँग का बकाया

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण	धन कर माँग का बकाया	धन कर माँग के बकाया के प्रति वास्तविक संग्रहण की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
2001-02	145.00	135.36	1,361.04	9.9
2002-03	145.00	153.88	2,122.17	7.3
2003-04	145.00	135.83	1,397.88	9.7
2004-05	145.00	145.36	1,147.70	12.7
2005-06	265.00	250.35	9,490.87	2.6

5.1.1 वर्ष 2005-06 के लिए धन कर माँग की बकाया वर्ष 2004-05 की तुलना में 1147.70 करोड़ रूपये से 9490.87 करोड़ रूपये तक (जिसमें 9209.38 करोड़ रूपये शामिल हैं जहाँ बकाया माँग व्यष्टिक मामलों में एक करोड़ से अधिक थी) होकर 727 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

निर्धारितियों
और
निर्धारणों की
प्रास्तिति

5.1.2 निम्नलिखित तालिका 2001-02 और 2005-06 के मध्य निपटान के लिए देय और वास्तविक रूप से पूर्ण हुए धन कर निर्धारितियों की संख्या और धन कर निर्धारणों की संख्या की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है:

तालिका 5.2 : धन कर (डब्ल्यू टी) निर्धारिति, निपटान के लिए देय और पूर्ण हुए निर्धारण

वर्ष	धन कर निर्धारितियों की संख्या	निपटान के लिए देय धन कर निर्धारणों की संख्या	पूर्ण हुए धन कर निर्धारणों की संख्या	लम्बित धन कर निर्धारणों की संख्या	निपटान के लिए देय कुल निर्धारणों के प्रति लम्बित धन कर निर्धारणों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
2001-02	1,51,676	1,18,530	78,982	39,548	33
2002-03	1,27,766	1,28,186	1,03,976	24,210	19
2003-04	1,35,085	1,09,777	82,702	27,075	25
2004-05	1,01,801	57,475	32,310	25,165	44
2005-06	99,694	76,670	52,859	23,811	31

5.2 धन कर निर्धारितियों की संख्या वर्ष 2001-02 में 1,51,676 से कम हो कर वर्ष 2005-06 में 99,694 हो गई यद्यपि 1993-94 से विधि में कोई बड़े परिवर्तन नहीं किये गये हैं। विभाग को निर्धारितियों की संख्या में प्रगामी गिरावट के कारणों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता है जिससे आय कर निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि की तुलना में धन कर निर्धारितियों¹ के लिए कर आधार का आनुपातिक फैलाव हो रहा है।

5.2.1 तथापि, पूर्ण हुए धन कर निर्धारणों की संख्या 2001-02 में 78,982 से कम हो कर 2005-06 में 52,859 हो गई। निपटान के लिए देय कुल निर्धारणों के प्रति लम्बित धन कर निर्धारणों की प्रतिशतता लगभग 30 प्रतिशत अधिक रही।

लेखापरीक्षा के परिणाम

5.3 लेखापरीक्षा ने मई 2006 और अक्टूबर 2006 के मध्य वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए 42 ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जिसमें 2.65 करोड़ रुपये के धन कर का अवप्रभार अन्तर्गत था। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने इन मामलों, में से मात्र आठ का अवलोकन किया या लेकिन गलतियाँ सूचित नहीं की।

5.3.1 सभी 42 ड्राफ्ट पैराग्राफों जिसमें 2.65 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था को इस अध्याय में शामिल किया गया है। प्रत्येक पैराग्राफ गलतियों की विशेष श्रेणी को दर्शाता है और समान स्वरूप की सभी अभ्युक्तियों के संयुक्त/समेकित राजस्व प्रभाव के बाद उपयुक्त प्रस्तावना सहित प्रारम्भ होता है। 10 लाख रुपये रुपये या उससे अधिक के धन मूल्य वाले मामलों को संबंधित श्रेणी में सोदाहरण दिया गया है। पाँच लाख रुपये या उससे अधिक लेकिन प्रत्येक 10 लाख रुपये से कम के धन मूल्य वाले मामलों को परिशिष्ट 18 में तालिकाबद्ध किया गया है।

मंत्रालय के उत्तर की प्रास्तिति

5.4 इस अध्याय में शामिल किये गये 42 मामलों में से वित्त मंत्रालय ने 17 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें 1.73 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था। पाँच मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया है। शेष मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय के उत्तर की जाँच की गई और जहाँ आवश्यक हो उपयुक्त रूप से समावेशित किया गया।

¹ 2007 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 8 के अध्याय 2 के अनुसार, आय कर निर्धारितियों, वी संख्या वर्ष 2001-02 में 259 लाख से बढ़कर 2005-06 में 297.88 लाख हो गई।

5.5 परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन में गलतियाँ

परिसम्पत्तियों
के मूल्यांकन
में गलतियाँ

5.5.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान किया जाता है कि नगद के अलावा किसी परिसम्पत्ति का मूल्य अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित रीति में मूल्यांकन तारीख को अवधारित किया जाता है। तथापि, निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, निर्धारण अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके बाजार मूल्य को अवधारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को किसी परिसम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए भेज सकता है यदि उसकी राय में परिसम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य विवरणी में दी गई परिसम्पत्ति के मूल्य से अधिक हो जाता है। निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निकाले गए ऐसे अनुमानित मूल्य को अपनाना अपेक्षित है।

5.5.2 इस अनुसूची के नियम 3 के अनुसार किसी परिसम्पत्ति का मूल्य जिसका निर्माण पट्टादारी भूमि पर किया गया और जहाँ ऐसी भूमि के पट्टे की असमाप्त अवधि पचास वर्षों से कम है, को निवल अनुरक्षण योग्य भाड़ा को आठ के आँकड़ा द्वारा गुणा करके निकाला गया। तथापि, नियम 8 के अनुसार, यह मूल्यांकन लागू नहीं होगा यदि पट्टा सुसंगत मूल्यांकन तारीख से पन्द्रह वर्षों के अन्दर समाप्त हो जाता है और पट्टे के विलेख में पट्टे के नवीनीकरण के लिए पट्टाधारी को एक विकल्प नहीं दिया गया।

5.5.3 निर्धारण अधिकारियों ने परिसम्पत्तियों के सही मूल्य को नहीं अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 2.02 करोड़ रुपये का अवमूल्यांकन हुआ जिसमें कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल प्रभारों में चार मामलों में 14.90 लाख रुपये (ब्याज सहित) के धन कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था। 12.20 लाख रुपये के राजस्व प्रभाव से अन्तर्गत एक मामले को सोदाहरण नीचे दिया गया है।

5.5.4 कर्नाटक, बैंगलूर I प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए एक कम्पनी मैसर्स कनारा लीजिंग लिमिटेड के आय कर निर्धारण से पता चला कि निर्धारिती ने पट्टादारी भूमि पर निर्भित सम्पत्ति से 43.13 लाख रुपये और 31.39 लाख रुपये की किराया आय प्राप्त की थी। इन सम्पत्तियों का पूँजीकृत मूल्य 3.04 करोड़ रुपये और 2.61 करोड़ रुपये था जो धन कर का उद्ग्रहण करते हुए धन बनाता है। तथापि, मार्च 2002 में निर्धारण अधिकारी ने संवीक्षा के पश्चात् पूरे किये गये निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निर्धारण में अभिलेखित किया था कि नियम 3 का प्रावधान निर्धारिती को लागू नहीं था चूंकि पट्टा 15 वर्षों की अवधि के अन्दर समाप्त हो जाता है।

5.5.5 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती के पट्टेदारी अधिकार पन्द्रह वर्षों के अन्दर समाप्त हो गये थे फिर भी पट्टे के विलेख में दस वर्षों के नये पट्टे के लिए निर्धारिती के लिए एक विकल्प का प्रावधान किया गया था और अनुसूची 3 के अनुसार ऐसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप

उपर्युक्त उल्लिखित दो निर्धारण वर्षों के लिए कुल 5.65 करोड़ रुपये के निवल धन का अवधारण हुआ और ब्याज सहित 12.20 लाख रुपये के धन कर का परिणामी अनुद्ग्रहण हुआ।

5.5.6 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

5.6 निर्धारण से छूट गया धन

निवल धन में
कर योग्य
परिसम्पत्तियों
का शामिल न
करना

5.6.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि निर्धारण वर्ष 1993-94 से, ‘परिसम्पत्तियों’ में अन्य के साथ -साथ अतिथि गृह, सभी रिहायशी भवनों, शहरी भूमि और भाड़े पर या भंडार माल के रूप में उनके द्वारा चलाये जाने वाले कारबार में प्रयुक्त होने वालों के अलावा मोटर कारों को शामिल किया जाता है। शहरी भूमि के बारे में इसका मतलब है कि भूमि जो किसी क्षेत्र में अवस्थित है जो नगर पालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अन्दर है और जिसकी आबादी दस हजार से कम नहीं है लेकिन उसके द्वारा अधिग्रहण की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा धारित किसी अनुपयुक्त भूमि को शामिल नहीं करता।

5.6.2 निर्धारण अधिकारियों ने असम, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 11 मामलों में ऐसी करयोग्य परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कुल 48.10 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। पाँच लाख रुपये से अधिक लेकिन प्रत्येक 10 लाख रुपये से कम के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त दो मामले परिशिष्ट 18 में क्रम संख्या 1 से 2 पर दर्शाये गये हैं। 19.34 लाख रुपये के राजस्व प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त एक मामले को सोदाहरण नीचे दिया गया है:

5.6.3 तमिलनाडु, चेन्नई I प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए एक कम्पनी मैसर्स तमिलनाडु, न्युजप्रिन्ट एण्ड पेपरस लिमिटेड का निर्धारण 12.49 करोड़ रुपये के करयोग्य धन पर जून 2002 में संशोधन के बाद जनवरी 2002 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए धन कर विवरणी को क्रमशः 6.34 करोड़ रुपये और 58 लाख रुपये के करयोग्य धन पर मार्च 2003 में संक्षिप्त रीति में प्रक्रियागत किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती कम्पनी अम्बातूर, चेन्नई में दिसम्बर 1996 से औद्योगिक भूमि के कब्जे में थी जिसका मूल्य तीन निर्धारण वर्षों के लिए सुसंगत मूल्यांकन तारीखों को क्रमशः 5.66 करोड़ रुपये, 6.71 करोड़ रुपये और 6.97 करोड़ रुपये था। चूंकि भूमि दो वर्षों से अधिक से खाली पड़ी हुई थी इसलिए शहरी भूमि के मूल्य को धन कर के प्रयोजन के लिए धन के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसा करने से चूक के परिणामस्वरूप 19.34 लाख रुपये के परिणामी राजस्व प्रभाव सहित 13.94 करोड़ रुपये का धन निर्धारण से छूट गया।

5.7 निर्धारण अभिलेखों का सह संबंध न होना

विभिन्न प्रत्यक्ष
करों के
अभिलेखों का
सह संबंध न
होने के कारण
निर्धारित न

किया गया धन

5.7.1 बोर्ड ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और आय कर एवं धन कर निर्धारण मामलों के समकालिक निपटान के लिए निर्धारण अधिकारियों को अनुदेश जारी किये (नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984) जिससे कर का कोई अपवंचन न हो।

5.7.2 कर को प्रभार्य निवल धन में मूल्यांकन तारीख को किसी भी विशिष्ट परिसम्पत्तियों के संबंध में निर्धारिती द्वारा स्वयम् धारित किसी ऋण के समायोजन के अध्यधीन अधिनियम की धारा 2 (ई ए) के अन्तर्गत उल्लिखित² कतिपय परिसम्पत्तियाँ समाविष्ट होती हैं।

5.7.3 अन्य करों के साथ आय कर निर्धारण अभिलेखों के सहसंबंध न होने के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, चण्डीगढ़ (यू टी) और पश्चिम बंगाल प्रभारों में 20 मामलों में कुल 45.84 लाख रुपये के धन कर का अनुद्ग्रहण हुआ। एक मामला जिसमें 16.01 लाख रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को सोदाहरण नीचे दिया गया है:

5.7.4 तमिलनाडु कोयम्बेटूर I प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स दी नानको रबर एण्ड प्लास्टिक लिमिटेड का आयकर निर्धारण 29.48 लाख रुपये की हानि का अवधारण करते हुए नवम्बर 2004 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि भूमि का एक टुकड़ा निर्धारिती के कब्जे में था जिसका मूल्य अनुमोदित मूल्यांकन द्वारा 5.75 करोड़ रुपये था जैसा कि वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची में दिखाया गया था। तथापि, न तो निर्धारिती ने इसकी धन कर कर विवरणी दाखिल की और न ही विभाग न धन कर के निर्धारण के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ की। इसके परिणामस्वरूप 16.01 लाख रुपये (ब्याज सहित) के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित 5.60 करोड़ रुपये का निवल धन निर्धारण से छूट गया।

² विशिष्ट परिसम्पत्तियों में निम्नलिखित मध्ये शामिल होती हैं :

- कोई भवन अथवा उसकी आनुषंगिक भूमि जिसका उपयोग रिहायशी प्रयोजनों के लिए या अतिथि गृह के अनुक्षण के प्रयोजन के लिए किया गया हो या अन्यथा रुप से किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के अन्दर स्थित फार्म हाऊस शामिल है,
- मोटर कार (भाइंडे पर या भैंडार माल के रुप में उनके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार में निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त होने वालों के अलावा),
- सम्पूर्ण रुप से या अंशिक रुप से सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कोई बहुमूल्य धातु या ऐसी बहुमूल्य धातुओं के एक या उससे अधिक को अन्तर्विष्ट करते हुए किसी मिश्र धातु से बनी हुई ज्वैलरी, बुलियन, फर्नीचर, बरतन या अन्य कोई वस्तु
- यॉट, नाव और एयर क्रफ्टस (वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त होने वालों के अलावा)
- शहरी भूमि और
- रोकड़ शेष, व्यस्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के पचास हजार रुपये से अधिक और अन्य व्यक्तियों के बारे में कोई राशि जिसका लेखा पुस्तकों में अभिलेख नहीं किया गया हो।

**ब्याज का
अनुद्ग्रहण/कम
उदग्रहण**

5.8 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ

5.8.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि जहाँ किसी निर्धारण वर्ष के लिए निवल धन की विवरणी विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की गई है या प्रस्तुत नहीं की गई है वहाँ निर्धारिती नियत तारीख के तत्काल बाद की तारीख से विवरणी के दाखिल करने की तारीख तक या जहाँ कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है वहाँ नियमित निर्धारण के पूरा होने की तारीख तक प्रत्येक माह अथवा माह के किसी भाग के लिए नियमित निर्धारण में अवधारित कर की राशि पर एक प्रतिशत (मई 1999 तक दो प्रतिशत, मई 2001 तक डेढ़ प्रतिशत और 7 सितम्बर 2003 तक सवा प्रतिशत) की दर पर साधारण ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

5.8.2 कर की माँग का अधिनियम में उल्लिखित समय के अन्दर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल होने पर चूक की तारीख से माँग के भुगतान की वास्तविक तारीख तक प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। कर के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का परिकलन किया जाना अपेक्षित था और कर माँग के अन्तिम भुगतान की तारीख के एक सप्ताह के अन्दर प्रभारित किया जायेगा।

5.8.3 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया अथवा उन्हें गलत प्रकार से लागू किया जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रभारों में छ: मामलों में कुल 1.55 करोड़ रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। एक मामला जिसमें 5.81 लाख रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है को परिशिष्ट 18 में क्रम संख्या 3 पर दर्शाया गया है। दो मामले जिनमें 1.44 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है की नीचे चर्चा की गई है:

5.8.4 दिल्ली, आ के आ I प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए एक कम्पनी मैसर्स ए बी होटल्स लिमिटेड का धन कर निर्धारण मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विवरणी न दाखिल करने के लिए ब्याज 1.49 करोड़ रुपये की सही राशि के बजाए 21.32 लाख रुपये पर उद्ग्रहीत किया गया था। इस गलती के परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.8.5 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है।

5.8.6 महाराष्ट्र मुम्बई आ के आ केन्द्रीय III प्रभार में, निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2002-03 के लिए एक कम्पनी मैसर्स मारस होटल एण्ड रेसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय आधार पर मार्च 2005 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात् भी धन कर विवरणियाँ दाखिल नहीं की। लेखापरीक्षा ने पुनः सूचित किया कि विभाग ने 1 मई 2004 अर्थात् संबंधित निर्धारण वर्षों की 1 नवम्बर की लागू देय तारीख के प्रति नोटिस

के जारी करने की तारीख के पश्चात् एक माह से धारा 17 बी के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप 15.41 लाख रुपये के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.9 कर की गलत दर का लागू करना

कर की दरों
के लागू
करने में
गलतियाँ

5.9.1 धन कर अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब और कम्पनी पर प्रत्येक वर्ष के तदनुस्ती मूल्यांकन तारीख पर निवल धन के संबंध में धन कर उस राशि जिस पर निवल धन पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो जाता है, की एक प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

5.9.2 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया या उन्हें गलत प्रकार से लागू किया जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में एक मामले में 1.34 लाख रुपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ख - ब्याज कर

5.10 वित्त अधिनियम, 2000 से ब्याज कर अधिनियम, 1974, 1 अप्रैल 2000 से समाप्त हो गया। इसलिए 31 मार्च 2000 के पश्चात् उपचित या उद्भूत हुए किसी प्रभार्य ब्याज के बारे में ब्याज कर प्रभार्य नहीं है। ब्याज कर से राजस्वों के लिए वित्त वर्ष 2000-01 से कोई बजट प्राक्कलन नहीं किये गये हैं। तथापि, लम्बित ब्याज कर निर्धारणों को विलम्ब के बिना पूरा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा
के परिणाम

5.11 1 अप्रैल 2005 और 31 मार्च 2006 के मध्य हुए ब्याज कर अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पूरे किये गये निर्धारणों की नमूना जाँच के दौरान 15 मामलों में 2.93 करोड़ रुपये के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण लेखापरीक्षा के ध्यान में आया।

5.12 लेखापरीक्षा ने मई 2006 से अक्टूबर 2006 तक टिप्पणियों के लिए वित्त मंत्रालय को 14 ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जिसमें 2.52 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत था। विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने इन मामलों में से मात्र चार का अवलोकन किया था लेकिन गलती सूचित नहीं की।

5.13 मंत्रालय को जारी सभी 14 ड्राफ्ट पैराग्राफों को इस अध्याय में शामिल किया गया है। प्रत्येक पैराग्राफ गलतियों की एक विशेष श्रेणी को दर्शाता है और समान स्वरूप की सभी अभ्युक्तियों के संयुक्त/समेकित राजस्व प्रभाव के बाद उपयुक्त प्रस्तावना सहित प्रारम्भ होता है। 10 लाख रुपये से अधिक के धन मूल्य वाले मामलों को सोदाहरण दिया गया है और पाँच लाख रुपये या उससे अधिक लेकिन प्रत्येक 10 लाख रुपये से कम के धन मूल्य वाले उन मामलों को परिशिष्ट 18 में तालिकाबद्ध रूप में दिया गया है।

वित्त मंत्रालय
से प्राप्त हुए
उत्तरों की
प्राप्तिः

5.14 इस अध्याय में शामिल किए गये 14 मामलों में से वित्त मंत्रालय ने 10 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की जिसमें 61 लाख रुपये का राजस्व प्रभाव

अन्तर्ग्रस्त था। शेष चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय के उत्तर की जाँच की जा चुकी है और जहाँ आवश्यक हो उपयुक्त रूप से समावेशित किया गया है।

5.15 प्रभार्य ब्याज के निर्धारण में गलतियाँ

प्रभार्य ब्याज
के निर्धारण/
अवनिर्धारण
में गलतियाँ

5.15.1 ब्याज कर अधिनियम, 1974 में प्रावधान है कि बैंकिंग कम्पनी/सार्वजनिक वित्तीय संस्थान सहित क्रेडिट संस्थान निर्धारण वर्ष 1992-93 से निर्धारण वर्ष 2001-02 तक उनकी ब्याज आय पर ब्याज कर की प्रभार्य थे। कर को प्रभार्य ब्याज आय में कर्जों एवं उधारों पर ब्याज, किसी संस्थीकृति क्रेडिट के अप्रयुक्त भाग पर सिपुदर्गी प्रभारों और वचन पत्रों एवं विनिमय पत्र पर छूट को शामिल किया गया। प्रभार्य ब्याज की विवरणी को सुसंगत निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर तक दाखिल करना अपेक्षित था।

5.15.2 किसी निर्धारण वर्ष के लिए क्रेडिट संस्थान द्वारा देय ब्याज कर की कटौती उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धार्य संबंधित शीर्षों के अन्तर्गत आय से की जायेगी। ऐसी कोई कटौती ब्याज कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य ब्याज आय से स्वीकार्य नहीं थी।

5.15.3 बोर्ड ने यह स्पष्ट करते हुए 1995 में अनुदेश जारी किये कि ब्याज कर ऋण-पत्रों, बॉण्ड और प्रतिभूतियों आदि पर ब्याज पर उद्घ्रहीत किया जाना था।

5.15.4 ब्याज कर अधिनियम देय ब्याज के प्रति ब्याज प्राप्ति के समंजन की अनुमति प्रदान नहीं करता।

5.15.5 निर्धारण अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधानों को सही प्रकार लागू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चार मामलों में कुल 2.24 करोड़ रुपये के ब्याज कर का कम उद्घ्रहण हुआ। तीन मामले जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्रभाव अन्तर्गस्त था की चर्चा नीचे की गई है:

5.15.6 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी II प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक बैंकिंग कम्पनी मैसर्स बैंक ऑफ इण्डिया का ब्याज कर निर्धारण मार्च 2003 में पूरा हुआ था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती को वित्त पट्टा से 28.91 करोड़ रुपये की आय हुई थी जो ब्याज कर को प्रभार्य थी। तथापि, वित्त पट्टे की कथित राशि को ब्याज कर संगणना के लिए नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2000-01 के लिए आय कर निर्धारण में 372.71 करोड़ रुपये के दावा के प्रति 250.02 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण की कटौती की प्रमात्रा को आय कर निर्धारण में कम किया गया था इसलिए अशोध्य ऋण की कटौती की प्रमात्रा को आयकर निर्धारण में कम किया गया था इसलिए अशोध्य ऋण के लिए निर्धारिती के दावा को प्रतिबन्धित किया। आय कर संगणना में, निर्धारिती ने कटौती के रूप में अशोध्य होने से उन ऋणों के आनुपातिक ब्याज तत्व का दावा किया। चूँकि अशोध्य ऋण की कटौती की प्रमात्रा को आयकर निर्धारण में कम किया गया था इसलिए अशोध्य ऋण के अस्वीकृत भाग पर आनुपातिक ब्याज का दावा ब्याज कर निर्धारण में अस्वीकृत किया जाना भी अपेक्षित था। ब्याज कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय अशोध्य ऋण घटक 34.11 करोड़

रूपये निकाला गया जिसके प्रति निर्धारिती ने दावा किया और 50.84 करोड़ रूपये के अशोध्य ऋण की अनुमति दी। उपर्युक्त चूकों के परिणामस्वरूप 45.64 करोड़ रूपये के करयोग्य ब्याज का कुल अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 1.19 करोड़ रूपये के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

5.15.7 महाराष्ट्र मुम्बई सिटी III प्रभार में निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए एक कम्पनी मैसर्स आई सी आई सी आई बैंक का ब्याज कर निर्धारण 123.92 करोड़ रूपये के प्रभार्य ब्याज का अवधारण करते हुए मार्च 2005 में संवीक्षा के पश्चात् पूरा हुआ था। कथित निर्धारण को 109.13 करोड़ रूपये पर प्रभार्य ब्याज का अवधारण करते हुए जुलाई 2001 में पहले ही परिशोधित किया गया था और पुनः 115.63 करोड़ रूपये के करयोग्य ब्याज के लिए अप्रैल 2002 में पुनः परिशोधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2005 में पूरे हुए निर्धारण में प्रभार्य ब्याज की संगणना करते समय विभाग ने अप्रैल 2002 के निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारित 115.63 करोड़ रूपये के बजाए जुलाई 2001 के निर्धारण आदेश में निर्धारित 109.13 करोड़ रूपये के करयोग्य ब्याज को माना। चूक के परिणामस्वरूप 6.49 करोड़ रूपये के प्रभार्य ब्याज का अवनिर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 67.97 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण अन्तर्गत था।

5.15.8 तमिलनाडु त्रिची I प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए एक कम्पनी मैसर्स लक्ष्मी विलास बैंक का निर्धारण 132.47 करोड़ रूपये के प्रभार्य ब्याज पर मार्च 2003 में सर्वोत्तम निर्णय के रूप में पूरा हुआ था। तदनन्तर, निर्धारण 122.28 करोड़ रूपये के प्रभार्य ब्याज का अवधारण करते हुए अक्टूबर 2003 में संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने प्रभार्य ब्याज से पुनः वित्त के प्रति वित्तीय संस्थान को प्रदत्त ब्याज के कारण 9.54 करोड़ रूपये की राशि की कटौती की थी। अधिनियम के अनुसार, पुनः वित्त के प्रति ऐसा ब्याज प्रभार्य ब्याज से अनुमेय कटौती नहीं था। 9.54 करोड़ रूपये की कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 32.82 लाख रूपये के राजस्व प्रभाव की सीमा तक प्रभार्य ब्याज का अवनिर्धारण हुआ।

5.15.9 मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।

5.16 कर की दर का गलत लागू करना

कर की सही
दर लागू
करने में
गलतियाँ

5.16.1 ब्याज कर अधिनियम, 1974 में प्रावधान है कि ब्याज कर क्रेडिट संस्थानों की प्रभार्य ब्याज आय पर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक तीन प्रतिशत की दर पर और इसके पश्चात् दो प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य था।

5.16.2 निर्धारण अधिकारियों ने कर की सही दर लागू नहीं की जिसके कारण तमिलनाडु में दो मामलों में 7.02 लाख रूपये के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.17 अभिलेखों का सहसम्बद्ध न होना

5.17.1 बोर्ड ने विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए और आय कर एवं विभिन्न प्रत्यक्ष कर निर्धारणों जैसे

धन कर, दान कर, ब्याज कर आदि के समकालिक निपटान के लिए अनुदेश जारी किये (नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984) ताकि कर का कोई अपवंचन न हो।

5.17.2 बोर्ड ने मार्च 1996 में स्पष्ट किया कि भाड़ा क्रय वित्त कम्पनियों के लिए उपचित या उद्भूत "वित्त" प्रभार ब्याज कर को प्रभार्य ब्याज के स्वरूप में है। बोर्ड ने पुनः 1998 में स्पष्ट किया था कि यदि संव्यवहार वित्त पोषित संव्यवहारों के स्वरूप में सत्त्व है तो भाड़ा प्रभारों को ब्याज कर के अद्यधीन ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए।

5.17.3 निर्धारण अधिकारियों ने बोर्ड के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में तीन मामलों में कुल 10.13 लाख रूपये के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। एक मामला जिसमें पाँच लाख रूपये से अधिक लेकिन 10 लाख रूपये से कम का राजस्व प्रभाव अन्तर्गत है को परिशिष्ट 18 में क्रम संख्या 4 पर दर्शाया गया है।

5.18 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ

ब्याज का
अनुद्ग्रहण/
कम
उद्ग्रहण

5.18.1 ब्याज कर अधिनियम, 1974 में प्रावधान है कि अग्रिम में ब्याज कर भुगतानों में चूक और कमी, उद्भूत माँग का भुगतान करने में विलम्ब और विवरणियों को दाखिल करने में चूक/विलम्ब के लिए ब्याज उसी रीति में और उसी दर पर उद्ग्राह्य है जैसा कि आय कर अधिनियम के अन्तर्गत समान स्वरूप की चूकों के लिए है।

5.18.2 उपर्युक्त प्रावधानों के गलत लागू करने के परिणामस्वरूप राजस्थान और तमिलनाडु में पाँच मामलों में कुल 11.86 लाख रूपये का अनुद्ग्रहण एवं कम उद्ग्रहण हुआ। पाँच लाख रूपये से अधिक लेकिन 10 लाख रूपये से कम के धन मूल्य वाले एक मामले को परिशिष्ट 18 में क्रम संख्या 5 पर दर्शाया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक

(सुधा कृष्णन)
प्रधान निदेशक प्राप्ति लेखापरीक्षा
(प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

